न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास' जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

अपील नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
06	23.7.20	25.8.21

उनवान

1.चिरंजी दत्तक पुत्र श्री श्योसहाय जाति मेघवाल निवासी गुगलहेडी तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0। :–अपीलांट:–

बनाम

1.ग्राम पंचायत बघेरीकलां पंचायत समिति किशनगढबास जिला अलवर राज0 जरियें सरपंच ग्राम पंचायत बघेरीकलां पंचायत समिति किशनगढबास जिला अलवर राज0 :–रैस्पों:–

अपील विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत बघेरीकला पं.स.किशनगढबास नामांतकरण संख्या 126 दिनांक 6.1.1998

:–उपस्थिति:–

1.श्री कृष्ण कुमार यादव वकील अपीलाट की ओर से।

2.एक पक्षीय कार्यवाही ।

:– निर्णयः–

पत्रावली पेश हुई। अपील के सुक्ष्म वर्तान्त निम्न प्रकार से है:–

अपील अपीलान्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांट चिरंजी पुत्र श्री सुखराम जाति मेघवाल निवासी गुगलहेंडी तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0 को मृतक श्योसहाय पुत्र खेमा जाति मेघवाल निवासी गुगलहेडी तह0 किशनगवास जिला अलवर राज0 ने हिन्दु रिती रिवाज के अनुसार दिनांक 12.9.1977 को गोद लिया था तथा गोदनामा लिखाया जाकर उपपंजियक किशनगढबास के दिनांक 12.9.1977 को ही पंजीवद्व करालिया था। उक्त गोदनामा उपपंजीयक किशनगढबास के यहां पंजिवद्व भी है मिन अपीलान्ट मृतक श्योसिह का दत्तक पुत्र हुं। तथा मिन अपीलान्ट का समस्त दस्तावेजात ,आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड में चिरंजी दत्तक पुत्र श्योंसहाय ही दर्ज है। मिन अपीलांट मृतक श्री श्योसहाय का दत्तक पुत्र हुं। मृतक श्योसिह जी ने अपने जीवनकाल मे ही समस्त चल अचल सम्पति एवं समस्त अपनी कृषि भुमि की वसीयत भी मेरे नाम करा दी थी। जिनकी मृत्यु के उपरान्त पटवारी हल्का द्वारा विरासत इन्तकाल में मेरे मृतक दत्तक पिता श्री श्योसहाय जी का इन्तकाल सं0 126 दिनांक 6.1.1998 को दर्ज किया गया जिसमे सहवन से चिरंजी पुत्र सुक्का दर्ज कर दिया गया । जबकी वसीयत में गोदनाम का जिक्र किया गया है विरासत इन्तकाल में चिरंजी दत्तक पुत्र श्योसहाय दर्ज करना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत बघेरी कला पंचायत समिति किशनगढबास जिला अलवर राज0 द्वारा दर्ज इन्तकाल संख्या 126 दिनांक 6.1.1998 को

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned with CamScanner

नसुख फरमाया जाकर चिरंजी पुत्र सुक्खा के स्थान पर चिरंजी दत्तक पुत्र श्योसहाय दर्ज किया जावे।और इसी कदर ताहाल जमाबंदीयात में मिन चिरंजी पुत्र सुक्खा के स्थान पर चिरंजी दत्तक पुत्र श्योंसहाय दर्ज किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पों0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया कोई उपस्थित नही हुआ।

हमने अपील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। तथा नामान्तकरण सं0 126 दिनांक 6.1.1998 वाके ग्राम बघेरीकला मिन अपीलांट के दत्तक पिता श्री श्योसहाय द्वारा सम्पादित वसीयत नामा दिनांक 1.5.1997 की पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 12 पृष्ट संख्या 82 क्रम संख्या 2 पर पंजिवद्ध किया गया था तथा जिल्द संख्या 7 व क्रम संख्या 2 पृष्ट संख्या 142 सें 147 पर रखी गई नकल फोटो कोपी गोदनामा एवं वसीयतनाम तथा अपीलांट का राशनकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र में भी चिरंजी पुत्र श्योसहाय दर्ज हैं। उक्त दस्तावेजात से यह बाखुबी साबित है कि तहाहाल जमाबंदीयात में मिन अपीलांट चिरंजी दत्तक पुत्र श्योसहाय के स्थान पर चिरंजी पुत्र सुक्खा दर्ज हो रहा है उसे दुरुस्त किया जाना उचित एवं न्यायासंगत समझते है अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत है।

अतः आदेश है किः–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बघेरीकला पंचायत समिति किशनगढबास का नामांतकरण संख्या 126 दिनांक 6.1.1998 को खारिज किया जाकर चिरंजी पुत्र सुक्खा के स्थान पर चिरंजी दत्तक पुत्र श्योसहाय दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल हो । निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगढबास को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with CamScanner